ई- मेल के द्वारा

इलाहाबाद विश्वविद्यालय
UNIVERSITY OF ALLAHABAD

पत्रांक : राजभाषा/मंत्रा./4/2020/1887 दिनांक : 16.12.2020
18

परिपत्र

विषय: मंत्रालयों/विभागों द्ववारा दिए जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में ।

माननीय संसदीय राजभाषा समिति ने हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान समिति की सिफारिशों पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुसार कार्यालयों द्वारा हिंदी विज्ञापनों पर व्यय न करने के संबंध में असंतोष व्यक्त किया है। ये आदेश इस प्रकार हैं :-

मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्ववारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

उपर्युक्त आदेश मंत्रालय के दिनांक 08 जून, 2017 के परिपत्र 13035-5/2017-रा.भा.ए. द्ववारा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालयों तथा उच्च शिक्षण संस्थानों को परिचालित किए गए थे। माननीय समिति ने उक्त आदेशों का पूर्णतः पालन करने का निदेश दिया है।

इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने का पुनः अनुरोध है (प्रति संलग्न)।

नरेन्द्र कुमार शुक्ल 17/12/20
अध्यक्ष एवं कुलसचिव,
राजभाषा कार्यान्वयन समिति, इ.वि.वि.

आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त अधिष्ठाता/निदेशक/विभागाध्यक्ष/समन्वयक/प्रशासनिक प्रमुख
2. आई.सी.टी. सेल- वेबसाइट पर अपलोड हेतु

सादर सूचनार्थ

1. कुलसचिव के वैयक्तिक सहायक
2. कुलपति के सचिव को कुलपति महोदया को सादर सूचनार्थ

नरेन्द्र कुमार शुक्ल 17/12/20
कुलसचिव,

फा.सं. 13035-5/2017-रा.भा.ए.
भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 08 जून, 2017

परिपत्र

विषय: संसदीय राजभाषा समिति के नौवे प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश।

****

गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा संसदीय राजभाषा समिति के नौवे प्रतिवेदन पर महामहिम राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए हैं। मंत्रालय के दोनों विभागों तथा इनके अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालयों द्वारा निम्नलिखित आदेशों पर कार्रवाई की जानी अपेक्षित है.-

1. सभी कार्यालय प्रशिक्षण कार्य की ओर विशेष ध्यान दें और प्रशिक्षण कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करवाएं, ताकि प्रशिक्षण कार्य एक वर्ष में पूरा हो सके। नए भर्ती होने वाले जिन कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त नहीं है, उन्हें प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए।
2. कंप्यूटरों पर अविलंब द्विभाषी सुविधा उपलब्ध कराई जाए और कंप्यूटरों पर काम करने वालों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, ताकि वे हिंदी में भी कार्य कर सकें।
3. प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण सामग्री को द्विभाषी रूप में उपलब्ध करवाएं।
4. राजभाषा कार्यान्वयन समितियां अपने कार्यान्वयन में सुधार लाएँ और सभी बैठकों में सभी मदों की समीक्षा करते हुए कमियों को दूर किया जाए।
5. राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक अवश्य सुनिश्चित की जाए और बैठक के दौरान कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में हो रही राजभाषा संबंधी प्रगति पर नजर रखी जाए।
6. सभी कार्यालय यह सुनिश्चित करें कि वे अपने नगरों की नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य बन गए हैं।
7. प्रत्येक कार्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु कम से कम एक हिंदी पद अवश्य सृजित किया जाए। राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु न्यूनतम हिंदी पद सृजन की इस अवधारणा को तत्काल लागू किया जाए।
8. एक वर्ष से अधिक समय तक रिक्त पड़े हुए हिंदी के पदों को समाप्त नहीं किया जाए।
9. कार्यालयों द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाए।

../-2

पूर्व पृष्ठ से:-

10. जहाँ तक संभव हो हिंदी एवं क्षेत्रीय भाषाओं में ही विज्ञापन जारी किए जाएं।
11. द्विभाषी रूप में जारी किए जाने वाले विज्ञापन डिग्लॉट रूप में दिए जाएं।
12. लागत को समान रखने के लिए हिंदी के विज्ञापन बड़े आकार में तथा मुख पृष्ठ पर दिए जाएं, जबकि अंग्रेजी के विज्ञापन छोटे आकार में अंतिम पृष्ठ या बीच के पृष्ठ पर दिए जाएं।
13. कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए उपलब्ध धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत या कार्यालय व्ययका न्यूनतम एक प्रतिशत, जो भी राशि अधिक हो, वह हिंदी पुस्तकों की खरीद पर खर्च की जाए।
14. कार्यालय में चल रही मौलिक पुस्तक लेखन योजना, यदि कोई हो, को और अधिक आकर्षक बनाया जाए और पुरस्कार राशि में वृद्धि की जाए।
15. हिंदी साहित्य के क्षेत्र में रचनात्मक कार्य से जुड़े कार्मिकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाए।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

केवल शर्मा

(केवल कुमार शर्मा)
सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग

प्रतिलिपि:-

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के अंतर्गत आने वाले सभी कार्यालय/उच्च शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय।
2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय के दोनों विभागों के सभी ब्यूरो।
3. सचिव, राजभाषा विभाग को उनके दिनांक 25 अप्रैल, 2017 के अ.शा. पत्र सं. 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) के संदर्भ में।
4. सी.एम.आई.एस. यूनिट को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
5. गार्ड फाइल।